न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/347

1. रामेश्वर आत्मज रूघनाथ जी जाति मीणा ।
2. गिरधारी आत्मज रूघनाथ जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज जगन्नाथ जी आयु 41 साल जाति मीणा ।
2. शांति बाई पत्नी बाबूलाल जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बनवारी लाल मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 113 की कुल 07 किता की कुल रकबा 3.98 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी में वादी का 9/15 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1 से 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी कम 3 का 1/15 हिस्सा है और पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा वादी को प्राप्त उनके हिस्से की भूमि को पृथक से

वादी के नाम खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक से लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को प्राप्त होने वाली उनके हिस्से की भूमि पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और उक्त भूमि का विभाजन करवाए बिना उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द एवं अन्य किसी व्यक्ति को अन्तरण नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 01.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के वाद का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया उक्त जवाबदावे के साथ अन्य वाद को कंसोलिडेट करने का प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु वादी को अवसर दिया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में पत्रावली लम्बित रहते हुए ही अपीलान्ट को लोक अदालत का नोटिस अथवा सूचना दिये बिना ही गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किये बिना ही वाद डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है । लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा कोई सहमति नहीं दी फिर भी वाद के वाद को डिक्री कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री किया है । दावे का जवाबदावा अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया और उक्त जवाबदावे के साथ अन्य वाद को कंसोलिडेट करने का प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु वादी को अवसर दिया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में पत्रावली लम्बित रहते हुए ही इसे लोक अदालत में रखा गया जिसकी सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और दावा डिक्री कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है और पक्षकारान के द्वारा लोक अदालत में किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद को कंसोलिडेट करने बाबत् के जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में केवल वादी उपस्थित थे । लोक अदालत में प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और पक्षकारान के द्वारा भी कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा